तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 75/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30—4—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र श्री विजय कुमार, जाति— माली, निवासी— माली वास, असावा (उडवारिया), तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील— रेवदर, जिला—सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 20—8—2021 को फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील— रेवदर, जिला—सिरोही में प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार, जाति— माली, निवासी— मालीवास, असावा (उडवारिया) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) का नमूना संख्या S-1474 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः**L.S./545/Act/2021/643** दिनांक 02—9—2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 30—4—2025 को प्रतिवादी दिनेश कुमार माली ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी दिनेश कुमार माली को दिनांक 30—4—2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि फर्म महोदव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में आई हुई है जहां पर वह नौकरी करता था। उक्त दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल कचोरी का लिया था और उक्त दुकान का मालिक कमलेश कुमार था और दुकान 3 साल पूर्व बन्द हो चुकी है। वह दुकान में नौकरी करता था व मैनें दुकान से नौकरी छोड दी है। अतः कम से कम जुर्माना कर लोक अदालत की भावना से कार्यवाही बन्द करावे। हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 20—8—2021 को समय 2—00 पी.एम. पर फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र श्री विजय कुमार, जाति— माली, निवासी— माली वास, असावा (उडवारिया) उपस्थित मिले। श्री विनोद ....लगातार	

.......लगातार

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही—307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 75/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी के निरीक्षण के दौरान फर्म महोदव ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान के अन्दर आलमारी के रैक में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 17 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार को प्रपत्र 5ए में गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान में आलमारी की रैक में आमजन की बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 17 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 8 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 414/– (अक्षरे रुपये चार सौ चौदह मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1474, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 8 पैक्ड पाउचेज में से Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 2–2 पैक्ड पाउचों को मिलाकर चार पैकेट/चार भाग बनाये तथा चारों पैकेटों/भागों एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1474 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार व उक्त गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली

........लगातार

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 75/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 24–8–2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 20–8–2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महोदव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड़, सिरोडी में प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार, जाति– माली, निवासी– मालीवास, असावा (उडवारिया) से खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 250–250 ग्राम के पैक्ड पाउचों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के नमूना संख्या S-1474 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./545/Act/2021/643** दिनांक 02–9–2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 250–250 ग्राम के पैक्ड पाउचों के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया एवं न ही ऐसा कोई बिल इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार, जाति– माली, निवासी– मालीवास, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड़, सिरोडी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) के 250–250 ग्राम के पैक्ड पाउचों का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 75/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Dry Kachori (Jay Bajrang Brand) (नमूना संख्या S-1474) विक्रय हेतु प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र श्री विजय कुमार, जाति– माली, निवासी– माली वास, असावा (उडवारिया), तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र विजय कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05–6–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	